

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 5-1/2014/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23-12-2019

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- सामान्य भविष्य निधि लेखों में ऋणात्मक शेष के संबंध में ।

संदर्भ- वित्त विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24-6-2016 एवं 1-12-2018.



वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की पासबुक अद्यतन रखने, कार्यालय प्रमुख द्वारा इनका सामयिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने तथा सामान्य भविष्य निधि खातों में पाये गये ऋणात्मक शेषों के सामयिक समाधान, सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि की शुद्धता तथा अंतिम भुगतान के प्रकरणों के सामयिक निराकरण के लिये जारी निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

2/ उपर्युक्त अनुसार अपेक्षित कार्यवाहियाँ नहीं होने से सामान्य भविष्य निधि खातों में त्रुटियों का निराकरण नहीं हो सका है । अतः निम्नांकित निर्देशों के पालन कराए जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः अनुरोध है :-

(अ) सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के अभिदानों/आहरणों का कार्यालय तथा महालेखाकार कार्यालय में संधारित पूर्व वित्तीय वर्ष के लेखों का पारस्परिक मिलान आवश्यक रूप से प्रतिवर्ष दिनांक 30 जून तक कराया जाए ।

- (ब) अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि लेखों में ऋणात्मक शेष परिलक्षित होने पर ऋणात्मक शेष का तत्काल समाधान कराया जाए ।
- (स) यदि अंतिम रूप से ऋणात्मक शेष रहना स्थापित होता है तब वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जाए । यदि अभिदाता सेवारत है तब समायोजन मूल वेतन के अधिकतम 25% की सीमा में न्यूनतम किशतों में किया जाए । यदि सेवानिवृत्ति के समय या उसके उपरांत ऋणात्मक शेष की राशि का तथ्य स्थापित होता है तो आवश्यक राशि का समायोजन, अभिदाता को देय उपादान की राशि से एक मुश्त किया जाए । यदि राशि शेष रहती है तब शेष राशि पेंशन पर देय राहत से की जाये ।

3/ कृपया समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें कि व्यक्तिगत रूचि लेकर सामान्य भविष्य निधि में पाये गये ऋणात्मक शेष के प्रकरणों के निराकरण हेतु उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(अजय चौबे)

उप सचिव


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 5-1/2014ज/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 23-12-2019

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर
5. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल ।
8. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल ।
9. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
13. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
14. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
15. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग